संख्या : 807/दस–सं०वि०–3(1)/92

प्रेषक,

श्री भोला नाथ तिवारी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 16 अप्रैल, 1992

विषय :– प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2163/दस–सं०वि०/3(1)/91 दिनांक 18 दिसम्बर, 1991 की ओर आकृष्ट करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 1992-93 के प्रारम्भ से ही उपर्युक्त शासनादेश, में उल्लिखित मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से पालन किया जाये और इस सम्बन्ध में हुई मितव्ययिता (भौतिक/वित्तीय परिणामों सहित) से नियमित रूप से प्रत्येक मास शासन के अपने सम्बन्धित विभाग को अवगत कराया जाये।

भवदीय,
भोला नाथ तिवारी
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या–807/(1) दस–सं०वि०–(1)/91 तद्दिनांक

प्रतिलिपि शासन के समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों/विशेष सचिवों को (दस प्रतियों सहित) आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीन विभागों और अपने विभाग से सम्बन्धित स्थानीय निकायों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों एवं राज्य विश्वविद्यालयों को इस शासनादेश की प्रतिलिपि भेजकर शासनादेश संख्या 2163/दस–सं०वि०–3(1)/91 दिनांक 18 दिसम्बर, 1991 में निहित मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित कराते हुए अपने स्तर पर प्रतिमास मितव्ययिता के भौतिक/वित्तीय परिणामों की समीक्षा कर परिणामों से वित्त विभाग को नियमित रूप से अवगत कराने की व्यवस्था करें।

आज्ञा से,
इन्दु कुमार पाण्डे
सचिव, वित्त आयोग।

संख्या 807/(2) दस–सं०वि०–(1)/91 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2- समस्त कोषाधिकारी।
3- महालेखाकार–1 व 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/स्थानीय निकायों एवं प्राधिकरणों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।
5- समस्त कुल सचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
ब्रजमोहन जोशी
संयुक्त सचिव।